


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-1/पा0मे0-07/2009-1134(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-25/09/2017

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1028(1) दिनांक-31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों का औचक निरीक्षण संबंधी आदेश सं0-1046(1) दिनांक-04.09.2017 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

2- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


(अनिल कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/पा0मे0-07/2009-1134(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-25/09/2017

प्रतिलिपि:- उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए पूर्व के संबंधित आदेश सं0-1046(1) दिनांक-04.09.2017 को तत्काल विभागीय वेबसाईट से हटाया जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव